न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/530

1. महादेव पुत्र रामसहाय
2. सीताराम पुत्र रामसहाय
   समस्त जातियान बागडा ब्राहम्ण निवासी पोखरावाला उर्फ आनन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.09.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 48/2024 उनवानी महादेव बनाम राज0 सरकार।

उपस्थित–

1. श्री महेश चन्द शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–25.06.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 04.09.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम पोखरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 335/625, 336, 337, 359, 365 लगायत 373 कुल किता 13 कुल रकबा 2.3100 है0 के भू प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 78, 97, 98 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा जिसके जमाबंदी में खातेदार मोती पुत्र मांगू व महादेव, सीताराम पुत्रान् रामसहाय की जगह भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान महादेव, मांगू, मोती, सीताराम पुत्रान् रामसहाय अंकित किये जाने एवं मोती पुत्र मांगू का इन्द्राज विलापित होने की त्रुटि को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को राज0 भू राजस्व अधिनियम की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

धारा–136 की परिधि में नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 04.09.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 04.09.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेर दिनांक 04.09.2024 निरस्त करने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम पोखरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 335/625, 336, 337, 359, 365 लगायत 373 कुल किता 13 कुल रकबा 2.3100 है0 के भू प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 78, 97, 98 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा थे जिसके गत जमाबंदी संवत 2031–34 में खातेदार मोती पुत्र मांगू एवं महादेव, सीताराम पुत्रान रामसहाय दर्ज रिकार्ड रहा है। वर्तमान भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहबन से नवीन राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहबन से महादेव पुत्र रामसहाय, मांगू पुत्र रामसहाय, मोती पुत्र रामसहाय, सीताराम पुत्र रामसहाय अंकित कर दिया गया जबकि रामसहाय के केवल दो पुत्र अपीलांट्स महादेव व सीताराम ही हैं। और मोती पुत्र मांगू की जगह मांगू पुत्र रामसहाय, मोती पुत्र रामसहाय अंकित किये जाने से मोती पुत्र मांगू का इन्द्राज विलापित हो गया है। जबकि वे आपस में पिता पुत्र हैं ना कि रामसहाय के पुत्र हैं। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समख प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ऐसी गलतियों का शुद्धिकरण करने का प्रावधान है जो कि लिपिकीय त्रुटि हो जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 की परिधि में नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के अवैध आदेश दिनांक 04.09.2024 को दिये गये। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की जांच हेतु तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें तहसीलदार द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रार्थीगण के कथनो की पुष्टि की गई है। तहसीलदार की स्पष्ट रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना वांछनीय था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन अवैध आदेश पारित किया है। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है। जो कि धारा 136 एल0आर0एक्ट में लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड एवं तथ्यों का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर 04.09.2024 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 की परिधि में नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के अवैध आदेश दिनांक 04.09.2024 को दिये गये। उक्त इन्द्राज राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 की परिधि में नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच व अवलोकन उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष वाके ग्राम पोखरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 335/625, 336, 337, 359, 365 लगायत 373 कुल किता 13 कुल रकबा 2.3100 है0 के भू प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 78, 97, 98 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा के जमाबंदी में खातेदार के नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् प्रस्तुत किया है। इस संबध में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 के प्रावधानों के संबंध में माननीय सवोच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने अनेकों दृष्टान्तों में व्यक्त किया है कि:–

संभागीय आयुक्त
जयपुर

Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 136- Scope- Only clerical errors or some admitted errors which might have crept into the revenue records can be rectified under the section. When Section 136 is looked into and perused, it would be Crystal clear therefrom

that the said power could be exercised by rectifying only the clerical errors or some admitted errors. Under this Section Land Record Officer can make correction in the record when mistake comes to his knowledge on his inspection of the land records or when such mistake is admitted by both the parties.

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–136 के तहत् केवल मात्र लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है जब दोनों पक्षकार सहमत हो। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने जमाबंदी में खातेदार के नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् प्रस्तुत किया है। जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा विधिवत् ही धारा–136 के प्रावधानों के तहत् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–136 की परिधि में नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के उचित एवं विधिसम्मत् अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2024 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।